न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, केम्प सागर

निगरानी 2530-I-15

१. आसाराम आयु लगभग ४१ वर्ष वल्द स्व.श्री अमान अहिरवार

२. मोहन आयु लगभग ३५ वर्ष वल्द स्व.श्री अमान अहिरवार

निवासी ग्राम बड़कुआ तहसील व जिला सागर

.................पुनरीक्षणकर्तागण

विरूद्ध

श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नि स्व.राजाराम अहिरवार

निवासी शंकरगढ़, मकरोनिया तहसील व जिला सागर

..................उत्तरवादी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा ५० म.प्र. भू राजस्व संहिता १९५९ ।

पुनरीक्षणकर्तागण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार सागर तहसील सागर जिला सागर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक ३२ अ/६/२०१३ - २०१४ ग्राम बड़कुआ पक्षकार श्रीमती लक्ष्मीबाई विरूद्ध आसाराम व अन्य में पारित आदेश दिनांक २४/०६/२०१५ से दुःखित होकर नीचे लिखे तथ्यों के अतिरिक्त आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत करते हैं :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

१. यह कि उत्तरवादी ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करके बताया गया कि "आवेदिका के पति स्व.राजाराम के नाम की मालिकी एवं कब्जा की कृषि भूमि मौजा स्थित गिदवानी पटवारी हल्का नम्बर १/३६ रा.नि.म. सागर-१ में खसरा नम्बर पुराना ६२/२ जिसका नया न. २६० रकवा ०.४० अर्थात् १ एकड़ कृषि भूमि आवेदिका के पति द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक ०८/०५/१९९१ को अनावेदक से खरीदकर मालिकाना व खास कब्जा पाया था । आवेदिका के पति ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि पर अपना नाम दर्ज नहीं कराया था आवेदिका के पति का निधन दिनांक १९/०२/१४ को हो गया है । अतः संलग्न बैनामा के आधार पर आवेदिका के पति का नाम दर्ज करने की कृपा करें ।" उक्त आवेदन पत्र Annexure A-1 है ।

२. यह कि पुनरीक्षणकर्तागण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नोटिस मिलने पर दिनांक ०६/०६/२०१५ को उपस्थित हुए उन्हें आवेदन पत्र व दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान की गयी एवं पेशी जवाब हेतु दिनांक १५/०६/२०१५ की नियत की गई । दिनांक १५/०६/२०१५ को अनावेदकगण की ओर से

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2530–एक/2015 जिला–सागर

आसाराम व अन्य विरूद्ध श्रीमती लक्ष्मीबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार सागर, तहसील व जिला–सागर के प्रकरण क्रमांक 32/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 24–06–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 30–10–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	